SJIF 2015 : 3.801
ISSN: 2348-3083
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR
HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE

महिलाओं के प्रति (विरूद्ध) घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न– एक अध्ययन

Ranjana Gupta, Ph. D.

Associate Professor- Home Science, K. R. Girls P.G. College Mathura

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

समस्या परिचयः भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रति (विरूद्ध) घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न की घटनाएं कोई नयी सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि महिलाओं के विरूद्ध सामाजिक जीवन में अत्यन्त सुखद एवं चुनौतीपूर्ण तथ्य है। भारतीय परम्परागत पुरूष प्रधान समाज में सैद्धान्तिक रूप से यद्यपि महिलाएं श्रद्धास्पद व आदरणीय रही हैं; किन्तु व्यवहारिक पक्ष ऐसा नहीं है। विचारों, अन्धविश्वासों, रीति– रिवाजों तथा व्यवहार के प्रचलित प्रतिमानों के अन्तर्गत महिलाओं की निर्योग्यता एवं पुरूषों का विशेषाधिकार महिलाओं की दुखद सामाजिक प्रस्थिति को अभिव्यक्त करती है। भारत में महिलाएं शताब्दियों से शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार रही हैं। घर के भीतर एवं घर के बाहर उनकी इज्जत, मान–प्रतिष्ठा निरन्तर तार–तार होती रही है। प्रस्फुटन के रूप में एक लम्बे अर्से से अवमानना/नीचा दिखाना **(Humiliation),** यातना/प्रपीड़ित करना ;**Harassment),** शोषण ;**Exploitation)** तथा व्यभिचार ;प्दबमेजद्ध की शिकार होती रही हैं। जिसके पुष्ट प्रमाण और सामाजिक– पारिवारिक जीवन के साक्ष्य, अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। पुरूष प्रधान समाज उनकी पीड़ा तथा वेदना पर आहें तो भरता है पर करता कुछ नहीं। अपमान, उत्पीड़न, पिटाई, हत्या, बलात्कार आदि महिलाओं की जिन्दगी से जुड़े वे पहलू हैं जो मानवता को नित्य प्रति शर्मसार करते हैं। महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा भारतीय सामाजिक जीवन के लिए कलंक हैं। एक विकासशील राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है; अपमानित, शोषित एवं प्रताड़ित महिलाओं की उपस्थिति में क्या यह सपना पूरा कर सकता है? भारत वर्ष का ग्रामीण क्षेत्र हो अथवा नगरीय; महिलाएं शिक्षित हों अथवा अशिक्षित, गृहस्थ हों अथवा कामकाजी; बालिका, किशोरी, युवती हो अथवा वृद्धा; किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार हैं। ''महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा वह घिनौना व दुःखद सामाजिक तथ्य (व्यवहार) है जो अपनों के विरूद्ध अपनों द्वारा की जाती है।''

भारत सरकार के विगत 20 वर्षों के आंकड़े यह स्पष्ट प्रमाण हैं कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का ग्राफ निरन्तर बढ़ा है। घरेलू हिंसा के अन्तर्गत मुख्यतः दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, पत्नी को मारना पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, बच्चों, विधवाओं, वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, कौटुम्बिक व्यभिचार आदि आते हैं जिनकी बजह से महिलाओं के समक्ष सामाजिक, आर्थिक तथा भावात्मक सामंजस्य की समस्याएं जनित हो जाती हैं, साथ ही समाज भी उन्हें हेय दृष्टि से देखता है। परिणामतः वे असहाय और अवसादग्रस्त हो जीवन जीती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए

'संप्रग' सरकार ने 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा कानून–2005' क्रियान्वित किया है जो कि संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ताकि महिलाओं और बच्चों पर घरों में होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया जा सके।

कानून के मुताबिक महिला (पत्नी) के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने या उसे अश्लील चित्र देखने के लिए मजबूर करने, दबाव बनाने या फिर सैक्स जैसा कोई ऐसा कार्य, जिससे उसे चोट पहुंचती हो, घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। यही बातें बच्चों के मामले में भी लागू होंगी। इतना ही नहीं, लड़का न पैदा करने के लिए महिला को ताने देना, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, यहां तक कि उसे गलत नाम से बुलाने, उसके बच्चों को स्कूल/कालेज जाने से रोकने वाले पुरूषों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी। इसके साथ ही महिलाओं व बच्चों को पीटना, थप्पड़ या घूंसा मारकर चोट पहुंचाना तथा आत्महत्या की धमकी देना भी घरेलू हिंसा माना जायेगा। इसी तरह न चाहने वाले व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर करना या फिर चाहने वाले से शादी करने से रोकना भी इसके दायरे में आयेगा। इसके अलावा नौकरी करने से रोकना, उसे छोड़ने के लिए दबाव बनाना, महिला या बच्चों को घर में रहने से रोकना, महिला व बच्चों के किराए के मकान का भुगतान न करना, घरेलू सामानों व घर के किसी हिस्से के उपयोग से रोकना, महिला या बच्चों को उनके ही वेतन को खर्च न करने देना, नौकरी में बाधा पहुंचाना, पत्नी और बच्चों को जीवन निर्वाह के लिए धन न देना और रोटी, कपड़ा व दवाई का इंतजाम न करना भी घरेलू हिंसा माना जायेगा। कानून की धारा–18 में कहा गया है कि इस तरह की हरकतों की स्थिति में पत्नी अपने स्त्रीधन, गहने–जेवर और कपड़ों को कब्जे में ले सकेगी। साथ ही ऐसी स्थिति में बिना कोर्ट की इजाजत के संयुक्त बैंक खातों व बैंक लॉकर्स का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह धारा–19 महिलाओं व बच्चों को यह अधिकार देती है कि उन्हें घर में रहने से नहीं रोका जा सकता। ऐसे घरों को बेचा भी नहीं जा सकेगा। मकान किराए का होने पर उसी तरह की सुविधा का दूसरा मकान दिलाना बाध्यता होगा। यह कानून महिला उत्पीड़न रोकने के लिए लागू किया गया है। घरेलू हिंसा कानून–2005 के बाद; विवाहित रिश्ते जो आज पहले से ही नाजुक स्थिति में आ चुके हैं, और जल्दी टूटने के कगार पर आ जावेंगे। ऐसा लगता है कि अब पति पत्नी के बीच छोटी–छोटी बातें भी राई से पहाड़ बन जावेंगी और महिला कानून का सहारा लेकर पति पर मुकद्दमा कायम करायेंगी। हालांकि यह सच है कि आज महिला उत्पीड़न की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है लेकिन इस समस्या का समाधान इस कानून के बना देने से नहीं होने वाला। इसके लिए तो हमें सामाजिक रूप से प्रयत्न करने होंगे; जिसमें समाजसेवी संस्थाओं, गैर शासकीय संगठनों तथा शासन को मुख्य भूमिका निभानी होगी अन्यथा की स्थिति में यह कानून भी ठीक ''ढाक के तीन पात'' के समान ही साबित होगा।

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि ''घरेलू हिंसा वह आचरण है जो महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग का शारीरिक मानसिक व आर्थिक हानि करता है, उसे कोई क्षति पहुॅचाता है या संकटापन करता है अथवा ऐसे करने की प्रवृत्ति है जिसके अन्तर्गत शारीरिक दुरूपयोग, लैंगिकता, मौखिकता, आर्थिक दुष्प्रयासों से सम्बन्धित है।'' घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 में महिलाओं के संरक्षण के विस्तृत उपायों का वर्णन किया गया है। संरक्षण के विस्तृत एवं प्रभावशाली प्रावधानों के बाद भी महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की स्थिति दुःखद या इसमें निरन्तर वृद्धि; चिन्ताजनक है।

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के विविध रूप शोध कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय दण्ड विधान संहिता के अनुसार यह एक दण्डनीय अपराध हैं। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने अनेकों वैधानिक उपाय किये हैं। इसके बावजूद भी इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। ऑकड़ों के अनुसार 1996–98 के बीच महिलाओं के प्रति हिंसा में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यातना में 31.5 प्रतिशत, यौन उत्पीड़न में 6.2 प्रतिशत, छेड़छाड़ में 23.6 प्रतिशत, दहेज हत्या में 53 प्रतिशत वृद्धि हुयी है। यह ऑकड़े वास्तविक नहीं हैं। वस्तुस्थिति इससे कहीं ज्यादा भयावह है। गृहस्थी के अन्तर्गत तालमेल बनाये रखने के दायित्व बोध के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की घटनाएं पुलिस रिकार्ड में नहीं आती हैं। अधिकांश मामले पारिवारिक परिवेश में ही दबा दिये जाते हैं। तालमेल टूटने या उत्पीड़न सहन सीमा के बाहर होने की स्थिति में ही महिलाएं पुरूषों या परिवार के सदस्यों के विरूद्ध थाने तक पहुॅचती हैं।

<u>🕯&;&;⬧📪&; ♓⌘♑◻◆&; ☎❖♐✍&;♎✡♓◑</u> 🕭

शोध प्ररचना का मुख्य कार्य अध्ययन व प्राथमिक स्त्रोत' से प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित करते हुए अनुसंधान को निश्चित दिशा प्रदान करना होता है। परिणामतः शोध प्ररचना शोध कार्य आरम्भ करने से पूर्व निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है जो शोधकर्ता को अध्ययन के अन्तराल में आने वाली विषम परिस्थितियों एवं तत्जनित समस्याओं पर नियंत्रण लाती हैं।

अनुसंधित्सु ने अपने आनुभविक शोध अध्ययन को वैज्ञानिक तरीके से सम्पादित करने के लिए अध्ययन समस्या की प्रकृति, अध्ययन के महत्व एवं अध्ययन के उद्देश्यों को दृष्टिपथ में रखकर प्राथमिक ऑकड़ों पर आधारित आनुभविक अध्ययन करने तथा उसकी प्रस्तुति के लिए 'व्याख्यात्मक' (ऐक्सप्लेनेटरी) शोध प्ररचना को चुना है।

<u>❖📪▭▭◆ ♎⬧ ❍■"■⬧🕯▭</u> 🕭

सामान्यतः शोध अध्ययन दो उद्देश्यों (1) सैद्धान्तिक/ज्ञानार्जन सम्बन्धी उद्देश्य (2) व्यवहारिक/प्रयोगवादी उद्देश्य की पूर्ति एवं प्राप्ति के लिए सम्पादित किए जाते हैं। सैद्धान्तिक उद्देश्यों के अन्तर्गतः (क) सामाजिक जीवन, घटनाओं, तथ्यों या समस्याओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना (ख) विभिन्न प्रकार्यात्मक सम्बन्धों की खोज करना (ग) उन स्वाभाविक नियमों को ढूँढ़ निकालना, जिनके द्वारा सामाजिक जीवन नियमित व निर्देशित होता है (घ) प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के अन्तर्गतः (क) सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में सहायता करना (ख) सामाजिक तनाव को दूर करके, सामाजिक संगठन बनाए रखने में मदद करना (ग) सामाजिक योजनाओं को बनाने में मदद करना (घ) सामाजिक नियंत्रण में सहायता करना (ङ) समस्या समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

<u>♓♐♑♎✡♓◆&;📪♋</u> 🕭

सर्वश्री गुडे एण्ड हाट (1960:57) ने लिखा है कि– ''परिकल्पना; सिद्धान्त और शोध के बीच की एक आवश्यक कड़ी होती हैं जो नवीन तथ्यों के सम्बन्ध में अतिरिक्त ज्ञान की खोज करने में सहायक होती हैं।''[10] स्पष्टतः परिकल्पनाएं, अनुसंधान के लिए एक ऐसा आवश्यक आधार प्रस्तुत करती हैं; जिसकी सहायता से नवीन तथ्यों को खोजा जाता है। शोधार्थी के विचार से परिकल्पनाओं के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि–

(1) परिकल्पनाएं शोध अध्ययन की दिशा को निर्धारित करती हैं, और शोधकर्ता का दिग्भ्रम दूर करती हैं;

(2) परिकल्पनाएं अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होती हैं; तथा अध्ययनकर्ता को भटकाव से बचाकर उसे गन्तब्य (अन्तिम लक्ष्य) तक पहुॅचाती हैं,

(3) परिकल्पनाएं अध्ययन समस्या के सम्बन्ध में प्राप्त प्राथमिक तथा द्वैतीयक तथ्यों के संकलन कराने में मार्गदर्शक के रूप में सहायता प्रदान करती हैं।

(4) परीक्षण में सत्य व सार्थक पायी गयी परिकल्पनाएं कार्य कारण सम्बन्धों के स्पष्टीकरण पर बल देती हैं एवं तथ्यपरक निष्कर्ष प्रदान करती हैं अतः निष्कर्ष रूप में स्वीकार किया जाता है।

(5) सत्य तथा सार्थक पायी गयी परिकल्पनाएं सिद्धान्तों का निर्माण करने तथा सामान्यीकरण करने में सहयोग प्रदान करती हैं।

(6) इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में अध्ययनार्थ परिकल्पनाओं का निर्माण; नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायक होता है।

तथ्य निर्वचन एंव विश्लेषणः

तालिका नं. (१): निवास की पृष्ठभूमि के सापेक्ष घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं

क्रम	निवास की पृष्ठभूमि	आवृत्तियॉ	प्रतिशत
1.	नगरीय	67	22.33
2.	ग्रामीण	233	77.67
	समस्त	300	100.00

तालिका नं. (२): घरेलू हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप- सूचनादात्रियों के अनुसार प्रत्युत्तर

क्रम	घरेलू हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप	आवृत्तियॉ	प्रतिशत
1.	पिटाई/मारपीट	238	79.33
2.	अन्य/दुर्व्यवहार	62	20.67
	समस्त	300	100.00

सर्वेक्षित कुल 300 सूचनादात्रियों में से 238(79.33 प्रतिशत) सूचनादाताओं के अनुसार घरेलू हिंसा का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप पत्नियों की पिटाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में विवाहित महिलाएं अपने पतियों द्वारा मारी पीटी जाती हैं ऐसा तीन–चौथाई (75 प्रतिशत) से अधिक महिलाओं ने स्वीकार किया है। पत्नियों की पिटाई साधारण की जाती है, गम्भीर नहीं अर्थात् मारपीट के कारण प्रायः महिलाओं को चोट नहीं लगती। महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार/मारपीट का यह सिलसिला विवाह के तुरन्त पश्चात् आरम्भ नहीं होता, बल्कि 2–3 वर्ष बाद आरम्भ होता है; ऐसा शत प्रतिशत सूचनादात्रियों ने स्वीकार किया है।

तालिका नं. (३): महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा : दुर्व्यवहार/मारपीट का स्वरूप

क्रम	महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा का स्वरूप	सूचनादात्रियों की आवृत्तियॉ	प्रतिशत	
1.	'क'	62	20.67	
2.	'ख'	120	40.00	100.00
3.	'ग'	118	39.33	
4.	(क+ख)	182	60.67	
5.	(ख+ग)	238	79.33	
6.	(ग+क)	180	60.00	
7.	(क+ख+ग)	300	100.00	

(स्त्रोत– सूचनादात्रियों के साक्षात्कारों से प्राप्त प्राथमिक तथ्य)

संकेताक्षर : 'क' = दुर्व्यवहार

'ख' = साधारण मारपीट

'ग' = गम्भीर मारपीट

(क+ख) = दुर्व्यवहार तथा साधारण मारपीट

(ख+ग) = साधारण तथा गम्भीर मारपीट

(ग+क) = दुर्व्यवहार तथा गम्भीर मारपीट

(क+ख+ग) = दुर्व्यवहार, साधारण व गम्भीर मारपीट

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के स्वरूप के बारे में दुर्व्यवहार व मारपीट को सर्वेक्षित परिवारों की सभी 300(100 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने स्वीकार किया है। इनमें से 62(20. 67 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने दुर्व्यवहार किया जाना, 120(40 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने साधारण मारपीट, 118(39.33 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने गम्भीर मारपीट करना स्वीकार किया है जबकि 182(60.67 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने दुर्व्यवहार व साधारण मारपीट, 238(79.33 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने साधारण तथा गम्भीर मारपीट, 180(60 प्रतिशत) सूचनादात्रियों ने दुर्व्यवहार तथा गम्भीर मारपीट एवं शत प्रतिशत महिला सूचनादात्रियों ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के 2–3 वर्ष बाद में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा दुर्व्यवहार के साथ सामान्य व गम्भीर मारपीट का सिलसिला शुरू हो जाता है।

तालिका नं. (४): विभिन्न पूरक प्रश्नों के सापेक्ष पत्नी की पिटाई सम्बन्धी कारकों के बारे में सूचनादात्रियों के अभिमत/प्रत्युत्तर

क्रम	विभिन्न पूरक प्रश्न जो पत्नी की पिटाई सन्दर्भ में पूछे गए	सूचनादात्रियों के अभिमत/स्वीकारोक्तियाँ (संख्या/प्रतिशत)				योग (प्रतिशत)
		हाँ	नहीं	उदासीन	अनुत्तरित	
1.	क्या उच्च शिक्षित पति अपनी पत्नी को नहीं पीटते हैं?	**297 (99.00)**	**03 (01.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
2.	क्या शिक्षित पत्नियों के पिटने की सम्भावनाएं कम होती हैं?	**300 (100.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
3.	क्या आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों में पत्नियों की पिटाई की घटनाएं अधिक होती हैं?	**270 (90.00)**	**27 (09.00)**	**03 (01.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
4.	क्या आत्म निर्भर पत्नियों के पिटने की सम्भावनाएं अत्यन्त न्यून होती हैं? वे नहीं पिटतीं।	**300 (100.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
5.	क्या पत्नी की पिटाई के लिए पति की अहम भावना उत्तरदायी कारण है?	**195 (65.00)**	**93 (31.00)**	**10 (03.33)**	**02 (00.67)**	**300 (100.00)**
6.	क्या अधिकार व प्रबलता की प्रवृत्ति पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी है?	**225 (75.00)**	**39 (13.00)**	**27 (09.00)**	**09 (03.00)**	**300 (100.00)**
7.	क्या पति में हीनता की भावना भी पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी है?	**180 (60.00)**	**103 (34.33)**	**05 (01.67)**	**12 (04.00)**	**300 (100.00)**
8.	क्या कम आय वाले परिवारों में पत्नी की पिटाई के लिए आय उत्तरदायी है?	**192 (64.00)**	**60 (20.00)**	**43 (14.33)**	**05 (01.67)**	**300 (100.00)**
9.	क्या बाहरी परिस्थितियों से जनित तनाव भी पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी कारक है?	**261 (87.00)**	**12 (04.00)**	**27 (09.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
10.	क्या परिवार की महिला सदस्यों के पारस्परिक झगड़े, पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी हैं?	**241 (80.33)**	**30 (10.00)**	**18 (06.00)**	**11 (03.67)**	**300 (100.00)**
11.	क्या घरेलू व अन्य कार्यों को पति की इच्छानुसार न करना पत्नी की पिटाई के लिए उत्तरदायी हैं?	**186 (62.00)**	**72 (24.00)**	**42 (14.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
12.	क्या पत्नियों का अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतना उनकी पिटाई के लिए उत्तरदायी है?	**189 (63.00)**	**90 (30.00)**	**-- (00.00)**	**21 (07.00)**	**300 (100.00)**
13.	क्या पति की पसन्द के अनुरूप पत्नी का सुन्दर न होना भी उनकी पिटाई का एक कारण है?	**179 (59.67)**	**102 (34.00)**	**19 (06.33)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**
14.	क्या पुत्रियों की अधिक संख्या तथा पुत्र पैदा न कर	**192**	**97**	**06**	**05**	**300**

	पाना भी पत्नी की पिटाई का एक कारण है?	**(64.00)**	**(32.33)**	**(02.00)**	**(01.67)**	**(100.00)**
15.	क्या पति का तनावग्रस्त होकर घर में आना और पति अपना सारा क्रोध पत्नी पर उतार देते हैं?	**205 (68.33)**	**63 (21.00)**	**30 (10.00)**	**02 (00.67)**	**300 (100.00)**
16.	क्या आर्थिक कठिनाईयाँ/समस्याएं पत्नी की पिटाई में योग देती हैं?	**279 (93.00)**	**-- (00.00)**	**15 (10.00)**	**06 (02.00)**	**300 (100.00)**
17.	क्या पत्नी द्वारा दहेज न लाना/कम लाना अथवा दहेज लाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी पति पिटाई करते हैं?	**282 (94.00)**	**-- (00.00)**	**18 (06.00)**	**-- (00.00)**	**300 (100.00)**

(नोट– कोष्ठकों के अन्तर्गत प्रदर्शित ऑकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं)

प्रसंगाधीन तालिका 4 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण तथा विवेचन के प्रकाश में तथा स्तम्भ ''हॉ'' के ऑकड़ों (आवृत्तियों तथा प्रतिशत) को देखने से स्पष्ट होता है कि तालिका में निर्दिष्ट सभी कारकों को 60 प्रतिशत से अधिक सूचनादात्रियों ने पतियों द्वारा अपनी पत्नियों की पिटाई के लिए उत्तरदायी कारक स्वीकार किया है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य है कि 'महिलाओं के विरूद्ध हिंसा' विवाह के परिप्रेक्ष्य में और अधिक अजीबोगरीब महसूस होती है क्योंकि यह समझा जाता है कि पति, अपनी पत्नी का स्वामी/ संरक्षक है, उसकी रक्षा करेगा, उसे सुरक्षा प्रदान करेगा; लेकिन वह उसे मारता, डॉटता पीटता है। एक पत्नी के लिए पति द्वारा पीटा जाना; जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती है, एक छिन्न–भिन्न करने वाला व्यक्तिगत अनुभव होता है; ऐसे विचार घरेलू हिंसा की शिकार– सूचनादात्रियों के हैं। घरेलू हिंसा लात, घूँसा, चॉटे/थप्पड़ मारने, यातनाएं देने से लेकर जान से मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है। हिंसा कभी–कभी नशे की दशा में भी होती है। परन्तु हमेशा नहीं। पत्नियॉ पिटने के बावजूद भी मौन रहकर अपमान सहती हैं; और उसे अपने भाग्य से जोड़ती हैं, यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो भी हिम्मत नहीं जुटाती क्योंकि उसे यह डर रहता है कि उसके अपने माता–पिता भी विवाह के बाद उसे (बेटी को) अपने घर में स्थायी रूप से रखने को मना कर देंगे। पति की देहरी (घर) ही उसका अन्त है अर्थात् उसका गुजारा तो पति के घर से ही होगा।

पत्नी के पीटे जाने/पिटने की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो अनुसंधित्सु के इस आनुभविक शोध अध्ययन से उजागर हुई हैं; वे इस प्रकार हैं–

(1) ऐसी पत्नियॉ, जिनकी आयु 25–35 वर्ष के मध्य होती है,

(2) ऐसी पत्नियॉ जो अपने पति से लगभग 5–6 वर्ष से अधिक छोटी होती हैं उन्हें पति द्वारा पीटे जाने का खतरा अधिक होता है,

(3) निम्न आय तथा निम्न समाजार्थिक स्तर वाले परिवारों में स्त्रियों की मारपीट की घटनाएं तुलनात्मक अधिक होती हैं,

(4) परिवार के आकार और उसकी संरचना का पत्नी के पीटने से कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होता, ऐसा अध्ययन में पाया गया है,

(5) सामान्यतः पतियों के पीटने से पत्नियों को कोई गहरी चोट नहीं लगती वे पीटकर कुछ सबक देना चाहते हैं।

(6) दम्पत्ति के मध्य कुसमायोजन, पति का अहम अथवा उसमें हीनता की भावना, पति का शराबी होना, भावनात्मक गड़बड़, पत्नी की निष्क्रियता, यौन सम्बन्धी असमायोजन (सामंजस्य का अभाव), तनावग्रस्त पति का घर आना,

दायित्वों के प्रति पत्नी द्वारा लापरवाही बरतना, परिवार की आर्थिक कठिनाईयॉं आदि घरेलू हिंसा हेतु महत्वपूर्ण कारण हैं।

(7) पति की हिंसात्मक प्रवृत्ति (व्यवहार), पत्नी के पीटने में एक महत्वपूर्ण तथा प्रमुख कारक होता है।

(8) शिक्षित पत्नियों की तुलना में, अशिक्षित/अनपढ़ व साक्षर पत्नियों की पिटाई/पीटे जाने की सम्भावनाएं अधिक होती हैं; लेकिन पीटने और पीड़ितों के शैक्षिक स्तरों में कोई सह– सम्बन्ध नहीं पाया गया है।

(9) शराबी पति; अपनी पत्नियों का उत्पीड़न तुलनात्मक अधिक करते हैं; लेकिन मारपीट उस समय करते हैं जब वे होशोहवास में होते हैं; न कि नशे की दशा में।

तालिका नं. ५ : दहेज उत्पीड़न के लिए विशिष्ट उत्तरदायी कारक -सूचनादात्रियों के अभिमतों के अनुसार प्रत्युत्तर

क्रम	उत्तरदायी कारकों का वर्गीकरण	आवृत्तियॉं	प्रतिशत
(क)	आर्थिक कारक :		
	(1) कम दहेज दिया गया, और अधिक दहेज की मांग करना	08	02.67
	(2) बार–बार दहेज की मॉंग करना	176	58.67
	(3) दहेज मॉंगा गया लेकिन नहीं दिया जा सका	12	04.00
(ख)	सामाजिक कारक :		
	(1) दहेज के कारण दम्पत्ति में अनबन रहना/सामंजस्य का अभाव	06	02.00
	(2) पत्नी को मायके न भेजना और न मायके से बुलाना	10	03.33
	(3) सास, ननद, पति व अन्य परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार करना	22	07.33
	(4) दहेज के लिए घर में कलह रहना व ताने कसना	06	02.00
(ग)	मनावैज्ञानिक कारक :		
	(1) जान से मार डालने का भय	32	10.67
	(2) बदचलन होने का आरोप लगाना	20	06.66
	(3) पत्नी की ससुराल में न रहने की इच्छा	06	02.00
(घ)	अन्य कारक :		
	पत्नी पर प्रायः बीमार रहने का इल्जाम लगाना	02	00.67
	समस्त योग	300	100.00

(स्रोत– सर्वेक्षण के दौरान व्यक्तिगत साक्षात्कारों से संकलित ऑकड़े)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से सुस्पष्ट है कि दहेज उत्पीड़न के लिए शोधार्थिनी के अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी हैं जिसमें आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हुए हैं।

●♏☹▭☠; ●♏☠;☞☠;☠;◆ ♎⬧ ⧼⌂☞ ♎⧼❒♓▭ ●❑☺☠;❑ ♌

इस समस्या के समाधान के लिए निम्न सुझाव सार्थक तथा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं–

(1) नारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते हुए वैधानिक उपाय किए जांय।

(2) महिलाओं को रोजगारों के अधिकाधिक अवसर प्रदान करते हुए दशा सुधार की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जांय।

(3) जनसंचार माध्यमों में दिखाई जा रही महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाय।

(4) अपराधकर्ताओं को समुचित दण्ड प्रदान किए जांय ताकि अन्य लोग सबक ले सकें।

(5) सामुदायिक स्तरों पर ऐसे पुरूषों की निन्दा कर सामाजिक बहिष्कार किए जांय।

(6) सामाजिक संस्थाओं, संगठनों व महिला संगठनों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाय।

(7) सामुदायिक स्तरों पर पीड़ितों की सुरक्षा, मदद और सलाह की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय।

(8) पीड़ितों को तानाशाह सास ससुर, शराबी पति के साथ न रहकर उस घर को छोड़ अन्यत्र ऐसी व्यवस्था करें जहाँ उन्हें रहने हेतु अच्छा वातावरण तथा समुचित आश्रय मिले।

(9) आवासीय आश्रय प्रदान करने में स्वयं सेवी संगठन आगे आवें।

(10) ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों को शासन स्तर से संरक्षा, सुरक्षा तथा आर्थिक मददें प्रदान की जांय।

(11) निःशुल्क कानूनी परामर्श व सहायता केन्द्रों की स्थापनाएं शासन स्तर से की जांय।

(12) शोषण की शिकार महिलाओं की सहायतार्थ घरेलू दम्पत्तिक समस्याओं के समाधान हेतु सस्ती और कम औपचारिक अदालतों की स्थापनाएं की जांय।

(13) अदालतों व कानून व्यवस्था में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाय जो ऐसी महिलाओं की समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से समझकर निराकरण कर सकें।

(14) यदि महिलाएं स्वयं अपनी दुखों की आवाज उठाएं और अपने विचारों को खुलकर दृढ़तापूर्वक व्यक्त करें।

(15) महिलाओं के प्रकरणों में माता–पिता के विचारों में भी परिवर्तन की सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं–

उन्हें अपने दकियानूसी विचारों को त्यागना होगा। महिलाओं को भी 'पति परमेश्वर' की अन्धविश्वासी व रूढ़िवादी मानसिकता त्यागकर, उनके अपने ऊपर ढाहे जा रहे जुल्मों/ अत्याचारों के आगे कदापि नहीं झुकना चाहिए, वे यह क्यों नहीं समझतीं कि उनमें भी अपनी एवं अपने बच्चों की देखरेख/परिवरिश की क्षमता है, उनकी समझ में क्यों नहीं आता कि उन्हें दी जा रही यातनाओं से उनके बच्चों को भी आघात पहुँचता है? महिलाओं को अपने अधिकारों पर दृढ़ रहने; और अपने लिए नई भूमिकाएं स्वीकार करना सीखना चाहिए; साथ ही उन्हें अब अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर 'एक आशावादी दृष्टिकोण' अपनाना चाहिए। सरकार ने महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'घरेलू हिंसा कानून–2006' क्रियान्वित कर रखा है। यदि ऐसी प्रताड़ित महिलाएं इस कानून का उपयोग करें तो काफी हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है लेकिन उन्हें इसके लिए साहस करना होगा।

संदर्भः

राम आहूजा (1987) सामाजिक समस्याएं : महिलाओं के विरूद्ध हिंसा; रावत प्रकाशन (राज0) जयपुर, पृष्ठांकन–227

Richard G. (2001) The Dark Side of Families, Longman's Publications, New York, p. 72.

Wolfgang M.E. (1987) Violence in the Family, John Wiley Publishing Co.(Pvt.Ltd.), New York, p.24

Champman J.K. (1983) The Violent Home, Sage Publications, Beverly Hills, California, p.101.

सिंह एस.डी. (2006) घरेलू हिंसा कानून–2005 के प्रति
रघुवंशी ओ.पी. प्रतिक्रियाएं, त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध पत्रिका 'सामाजिक सहयोग' प्रकाशित शोध पत्र, श्रीकृष्ण शोध संस्थान (उज्जैन) म.प्र., वर्ष–15, अंक 60–61 (मार्च–अप्रैल) पृष्ठांकन 75–86

..... (2006) राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवेदनः 2006, दृष्टव्यः दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' आगरा संस्करण, दिनांक 12.9.2006, पृष्ठ 6

राम आहूजा (1996) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, रावत प्रकाशन, जयपुर, पृष्ठ 229